धारा- 3[”30क. सभापति या उपसभापति के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव -(1) यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार किसी सहकारी समिति के सभापति या उपसभापति के विरूद्ध अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव किया जा सकता है तथा उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

(2) जब अविश्वास या प्रस्ताव स्वीकार हो जाये तब सभापति या उप सभापति जिसके विरूद्ध यह स्वीकार किया जाय, तुरन्त उक्त पद से हट जायेंगे और उनका स्थान उनका उत्तराधिकारी लेगा, जो उसी बैठक में दूसरे संकल्प द्वारा ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निर्वाचित किया जायेगा।”